मूली बनाम बद्रीराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
	दावा मु.नं. — 15/2018	
07.02.2019	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते आदेश/निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. हेतु पेश हुई। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का पेश कर अवगत कराया है कि प्रतिवादी न. 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि कुल किता 18 कुल रकबा 7.79 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम सुराणी के 1/4 भाग का रजिस्टर्ड विक्रय लेख प्रतिवादी न. 2 के हक में दिनांक 18.6.2018 को शुन्य घोषित करवाने का अनुतोष चाहते हुए उक्त वादपत्र व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया हैं। किसी भी रजिस्टर्ड विक्रय लेख/दस्तावेज को शून्य घोषित करने का पूर्णतया श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। राजस्व न्यायालय को किसी भी दस्तावेज को शुन्य घोषित करने का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। वादीयागण द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से राजस्व न्यायालय में वादपत्र व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है। वकील अप्रार्थी/प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादपत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है। वकील प्रार्थी/वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के जवाब में अवगत कराया कि वादीयागण द्वारा उक्त वादपत्र अपनी पैतृक कृषि भूमि में खातेदारी की घोषणा, विक्रय लेख शून्य घोषित करवाने व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत पेश किया है। प्रतिवादी सं. 2 द्वारा वादीयागण की पैत्रक कृषि भूमि से रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 18.6.2018 के आधार पर बेदखल करने की धमकी देने से अपने पैत्रक कृषि भूमि में खातेदारी की घोषणा एंव विक्रय लेख बमुकाबले वादीयागण को शून्य घोषित करवाने एंव स्थाई निषेधाज्ञा बाबत पेश किया है ना कि सिर्फ विक्रय लेख शून्य घोषित करवाने बाबत। वादपत्र को सुनने का राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार है। विक्रय लेख सिविल न्यायालय से निरस्त करवाने हेतु राजस्व न्यायालय से पैत्रक कृषि भूमि में खातेदारी व अधिकारों बाबत घोषणा करानी जानी आवश्यक है। राजस्व न्यायालय को ही पैत्रक कृषि भूमि में घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा का अधिकार प्राप्त है। सिविल न्यायालय को कृषि भूमि बाबत घोषणा करने का अधिकार प्राप्त नहीं होने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को खारिज किये जाने का निवेदन वकील वादी ने किया है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.02.10 12:09:20 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। दौराने बहस वकील अप्रार्थी ने फर्द दस्तावेजात् के संलग्न किता– 7 दस्तावेज पेश करते हुए अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अवगत कराया कि किसी भी रजिस्टर्ड विक्रय लेख/दस्तावेज को शून्य घोषित करने का पूर्णतया श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त होने एंव राजस्व न्यायालय को किसी भी दस्तावेज को शुन्य घोषित करने का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होने एंव वादीयागण द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से राजस्व न्यायालय में वादपत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एंव शून्य घोषित कराने विक्रय लेख व उदघोषणा का वाद चलने योग्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का स्वीकार किये जाने का निवेदन वकील अप्रार्थी/प्रतिवादी ने किया है। वही वकील वादी ने पैत्रक कृषि भूमि में खातेदारी व अधिकारों बाबत घोषणा करवाये जाने का अधिकार राजस्व न्यायालय को होने से एंव सिविल न्यायालय को कृषि भूमि बाबत घोषणा करने का अधिकार प्राप्त नहीं होने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को खारिज किये जाने का निवेदन किया है। वकील वादी ने डब्ल्यू.एल.सी. 2000 पेज न. 530 व दिग्वीजय सिंह वगै0 बनाम सन्तराम वगै. एस. बी. सिविल प्रथम अपील नम्बर 55/84, निर्णय दि. 23 जुलाई 2013 द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की प्रतियॉ पेश की है। हमने बहस वकुलाय पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि वकील वादी ने सिविल न्यायाधीश एंव न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीमाधोपुर में सिविल वाद मु.न. 94/18 व सिविल विविध टी.आई. मु.न. 87/18 उनवानी मूली देवी बनाम बद्रीराम वगै0 का पेश कर रखा है। जिसमें सिविल न्यायालय में प्रार्थीयागण /वादियागण द्वारा प्रस्तुत सिविल विविध टी.आई. मु.न. 87/18 उनवानी मूली देवी बनाम् बद्रीराम वगै0 का दिनांक 15.11.2018 को खारिज हो चुकी है। उक्त वादपत्र विक्रय लेख दिनांकित 18.6.2018 को निरस्तीकरण कलअदम, बेअसर, शून्य घोषित कराने व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है एंव इस न्यायालय में वकील वादीयागण द्वारा पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.02.10 12:19:20 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये

वादपत्र में अनुतोष वरियताक्रम में स्थाई निषेधाज्ञा व शून्य घोषित कराने विक्रय लेख दिनांक 18.06.18 एव उदघोषणा का अनुतोष चाहा गया है। जबकि वादी इस न्यायालय से पैत्रक सम्पति में हक अधिकारों के सम्बन्ध में उदघोषणा का वाद पृथक से ला सकता है एंव विक्रय लेख को शून्य घोषित कराने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है।

जहॉ तक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में वादपत्र का नामंजूर किया जाना वर्णित है वह निम्न दशाओं में नामंजूर कर दिया जायेगा–

(क) जहां वह वाद–हेतुक प्रकट नहीं करता है

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा आक्षेपित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है

(घ) जहां वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है,

(ड.) जहां वह डुप्लीकेट फाईल नहीं किया गया है,

(च) जहां वादी 9 नियम 2 की अनुपालना करने में असमर्थ रहा है,

(छ) जहां वादी नियम 9 (3) की अनुपालना करने में असमर्थ रहा है,

वकील वादीयागण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के अनुतोष के वरियताक्रम में मद संख्या 14 (ए) में शून्य घोषित कराने विक्रय लेख दिनांक 18.06.18 का मुख्य अनुतोष एंव मद संख्या 14 (बी) में स्थाई निषेधाज्ञा एंव मद संख्या 14 (सी) में उद्घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के उपनियम (घ) के तहत जहां वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित होने की श्रेणी के अन्तर्गत आना पाया जाता है। किसी भी रजिस्टर्ड विक्रय लेख/दस्तावेज को शून्य घोषित

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.02.10 12:09:20 IST
Reason: SelfAttested

मुल्की बनाम बद्रीराम वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज फाला मु.न. -151/18	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
	करने का पूर्णतया श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। राजस्व न्यायालय को किसी भी दस्तावेज को शुन्य घोषित करने का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में वकील अप्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का स्वीकार किया जाता है तथा वाद पत्र को खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। यह निर्णय आज दिनांक 07.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (बृजमलाल जाट) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.02.10 12:09:20 IST
Reason: SelfAttested